निविदा विज्ञप्ति

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर में विभिन्न विकास खण्डों के अन्तर्गत क्षेत्रवार कार्यो का चयन ग्राम सभा, ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत तथा योजनान्तर्गत अन्य कार्यदायी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों, मा0 सांसदगण, विधायकगण एवं विशेषज्ञों की सहायता से जिले/क्षेत्र में रोजगार की मांग को दृष्टिगत रखते हुए आगामी 05 वर्षो के लिए संदर्श योजना (Perspective Plan) तैयार किया जाना है। निविदा मे निम्न संस्थायें भाग ले सकती हैः–

1– केन्द्र सरकार के विश्व विद्यालय / महा विद्यालय ।
2– राज्य सरकार के विश्व विद्यालय / महा विद्यालय ।
3– केन्द्र सरकार के संस्थान
4– राज्य सरकार के संस्थान ।
5– **IIMS; IITS; I CAR** के संस्थान

निविदा की शर्तेः–

1– संस्था द्वारा यदि पूर्व मे कोई पर्सपेक्टिव प्लान तैयार की गयी हो तो आदेश की प्रति तथा कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2– पर्सपेक्टिव प्लान में सभी विकास खण्डों के ग्राम पंचायत क्षेत्र में नियमानुसार कराये जा सकने वाले कार्यो की अनुमानित कार्ययोजना बनायी जायेगी। उक्त संदर्भ मे योजना से वार्षिक प्लान बनाया जायेगा।
3– पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करने के उपरान्त धनराशि संस्था को भुगतान की जायेगी।
4– पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करने हेतु कोई अलग से मार्ग व्यय आदि देय नहीं होगा।
5– अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह कोई भी/ समस्त निविदायें बिना कारण बतायें रद्द कर दें।
6– पर्सपेक्टिव प्लान निर्धारित समयावधि (तीन माह) मे पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
7– पर्सपेक्टिव प्लान संस्था द्वारा अपने कर्मचारियों से तैयार कराना होगा। इसके लिए विभाग द्वारा कोई कर्मचारी नहीं दिया जायेगा।
8– संस्था द्वारा पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करने हेतु अनुभवी अधिकारियों/ कर्मचारियों का विवरण संलग्न करना होगा।
9– पर्सपेक्टिव प्लान के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी विकास भवन बुलन्दशहर मे नरेगा सैल से किसी भी कार्य दिवस मे प्राप्त की जा सकती है।
10– स्वीकृत की गयी निविदा के निविदादाता को उपरोक्त वर्णित नियम/ शर्तो के अनुपालन सम्बन्धी नोटेरी/ शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात ही कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
11– किसी भी विवाद मे न्यायालय क्षेत्र बुलन्दशहर ही होगा।
12– उपरोक्त सभी शर्तो का समावेश करते हुए निविदा प्रपत्र स्वयं तैयार कर निविदा प्रेषित की जा सकेंगी।

सीलबन्द निविदायें अधोहस्ताक्षरी कार्यालय मे दिनांक 20–6–2008 के अपरान्ह 2.00 बजे तक स्वयं, पंजीकृत डाक अथवा कोरियर द्वारा जमा की जा सकती है। प्राप्त निविदायें विकास भवन बुलन्दशहर स्थित अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में दिनांक 20–6–2008 को ही अपरान्ह 3.00 बजे खोली जायेगी।

(सन्ध्या तिवारी)
मुख्य विकास अधिकारी/
जिला कार्यक्रम समन्वयक
बुलन्दशहर।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी बुलन्दशहर।
पत्रांक 1089 / नरेगा सैल/संदर्श यो0/2008 दिनांक : 30/5/08

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, बुलन्दशहर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कानपुर संस्करण, लखनऊ संस्करण मे भी कराने का कष्ट करें।
2– सम्पादक, टाईम्स आफ इण्डिया, नई दिल्ली को इस आशय से कि विज्ञप्ति का प्रकाशन कराकर बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
3– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन जनपद की वैबसाईट पर कराना सुनिश्चित करें।

30.5.08
मुख्य विकास अधिकारी
बुलन्दशहर।